

फर्द अहकाम
(नियम 26)

मुकदमा नम्बर मुकाम बयाना
 अपखंड अधिकारी उदल बगैरह
 नत्थी बनाम
 प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट नं. 270/23 सन
 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख हुक्म

नंबर व
तारीख
अहकाम जो
इस हुक्म की
तामील में
जारी हुए

27.10.23

एडवोकेट प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0एक्ट के तहत पेश किया। हमने एडवोकेट प्रार्थी को एक पक्षीय सुना पत्रावली मे संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विरुद्ध अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.02.2024 तक इस आशय का जारी किया जाता है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी वाके ग्राम खेड़ली गड़ासिया तहसील बयाना के मौके की यथास्थिति बनाए रखे। इस बाबत कोई आपत्ति हो तो नियत तारीख पेशी को न्यायालय हाजा उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश करे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर प्रकरण दिनांक 16.02.2024 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)
कोड संख्या-24596

19/11/24
 प्रार्थीन अधिकारी
 नम्बर 413 को पेश हो
 सिडर
 एस.डी.एम.

दिनांक 16/11/24
 के द्वारा
 जज इवोली अडी

413/24 बुलाय उभय पक्ष उपाय
 उपाय बुलाय वाके जवाब क तलब
 अगामी 31/10/24 वाकत मुल 014 के लिये
 13 6/6/24 को पेश हो

रजिस्ट्रार
 सिडर
 एस.डी.एम.

Form No. III
फर्द अहकाम
 (नियम 26)

जज अदागत..... सुकाम.....
 नाल्नी / इलम बनाम.....
 किरत सुकवमा..... नं. 270/123... सन.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
17/10/25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी / काठी मय चरील उपर होकर एक प्रार्थना पत्र पेश होकर निवेदन किया है कि श्री एस.जी. पत्र मये चक्रो मही नालाना नपहता एवं सभी फल पर खारिज / डीप करना चाहता है। श्री फल स्वीकार किया जाकर पुष्करन मये श्री फल पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फल शुभार होकर नंबर से चल हो। वाकिल वपन हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)</p>	<p>सी.जी. 1</p>